- वर्षों से **भारत के ऋण का अधिक न्यायसंगत वितरण** शुरू करना।

FRBM अधिनियम में निम्नलिखित **प्रमुख विशेषताएं** हैं:

- अधिनियम केंद्र सरकार को **राजकोषीय घाटे और राजस्व घाटे को कम करने** के लिए उचित उपाय अपनाने का आदेश देता है। ताकि मूल रूप से वर्ष 2009 तक राजस्व घाटे को समाप्त किया जा सके और उसके बाद पर्याप्त **राजस्व अधिशेष** का निर्माण किया जा सके।
- यदि कर राजस्व के माध्यम से राजकोषीय और राजस्व घाटे को कम नहीं किया जाता है तो आवश्यक समायोजन **व्यय में कमी** के उपाय को अपनाना होगा।
- वास्तविक घाटा केवल **राष्ट्रीय सुरक्षा या प्राकृतिक आपदा** के आधार पर या केंद्र **सरकार द्वारा निर्दिष्ट ऐसे अन्य असाधारण आधारों** पर निर्दिष्ट लक्ष्यों से अधिक हो सकता है।
- **केंद्र सरकार** नकद प्राप्तियों पर नकद संवितरण के अस्थायी आधिक्य को पूरा करने के लिए अग्रिमों को छोड़कर **RBI से उधार नहीं लेगी।**
- **RBI को वर्ष 2006-07 से केंद्र सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियों के प्राथमिक निर्गमों में व्यय नहीं करना चाहिए।**
- राजकोषीय परिचालनों में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए जाने चाहिए।
- केंद्र सरकार संसद के दोनों सदनों के समक्ष **तीन विवरण** रखेगी
    - मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण,
    - राजकोषीय नीति युक्ति विवरण,
    - वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ वृहत आर्थिक रूपरेखा विवरण।
- बजट के संबंध में प्राप्तियों और व्यय की **प्रवृत्तियों की त्रैमासिक समीक्षा** संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखी जाए।

इन लक्ष्यों को कई बार टाला गया। **एन.के. सिंह समिति** द्वारा वर्ष 2016 में अधिनियम की समीक्षा की गई। समिति ने ऋण को GDP अनुपात में लक्षित करने और इसे वर्ष 2023 तक 60% (केंद्र के लिए 40% और राज्यों के लिए 20% शामिल) तक लाने का सुझाव दिया। इसने वर्ष 2023 तक राजकोषीय घाटे को 3.5% (2017) से 2.5% तक कम करने की भी सिफारिश की। साथ ही इसने प्रतिचक्रीय मुद्दों और आपात परिस्थितियों को समायोजित करने के लिए एक 'एस्केप क्लॉज (Escape Clause)' के साथ एक राजकोषीय सीमा का समर्थन किया।

Copyright © by Vision IAS
All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.